

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी:- कैलाश चन्द गुर्जर , उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा
प्रकरण संख्या- 88/2022 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

1. श्रीमती नन्दू बाई पुत्री शम्भुलाल भील जाति भील उम्र बालिग निवासी ग्राम बोराव तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़ हा0मु0 गुढा(बुढा) जिला मंदसोर म0प्र0।
2. श्री मोहनलाल पुत्र शम्भुलाल भील जाति भील उम्र बालिग निवासी ग्राम बोराव तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़ हा0मु0 गुढा(बुढा) जिला मंदसोर म0प्र0।
3. श्रीमति हुलारीबाई पुत्री शम्भुलाल भील जाति भील उम्र बालिग निवासी ग्राम बोराव तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़ हा0मु0 गुढा(बुढा) जिला मंदसोर म0प्र0।

.....प्रार्थीगण

विरुद्ध

जरिये भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा।

.....विपक्षीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से :- श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत।

दिनांक:- 13.06.2022

—:आदेश:-

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम मौजा बोराव प0ह0 बोराव तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 532 खसरा संख्या 1399, 1403 कुल किता 2 कुल रकबा 2.1600 है0 भूमि प्रार्थीगण के नाम सहखातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थीगण के सहखातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र द्वारा निवेदन किया कि खसरा संख्या 1399, 1403 के पड़ौसी खातेदार व प्रार्थी के बीच कृषि आराजीयात पर फसल बुवाई और फसल कटाई को लेकर व पास मेव के बाड़े में फसल को रखने को लेकर व आये दिन मेड, घास फुस को काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थीगण की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया- प्रार्थीगण उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर अप्रार्थी परोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है ग्राम मौजा बोराव प0ह0 बोराव तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 532 खसरा संख्या 1399, 1403 कुल किता 2 कुल रकबा 2.1600 है0 भूमि प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपरिथति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/-रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैंसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.06.2022 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़